मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्र. एफ-10-13/99/1/9 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 1999.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय : न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण एवं त्रैमासिक समीक्षा.

संदर्भ : इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-10-12/99/1/9 दिनांक 30-4-99.

संदर्भित ज्ञापन द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में समय-सीमा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सभी बड़े विभागों में एक प्रकोष्ठ का गठन किये जाने तथा एक वरिष्ठ अधिकारी को सभी सामयिक आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं. यह भी निर्देशित किया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाये तथा एक सप्ताह के भीतर प्रतिरक्षण आदेश जारी करायें जायें.

(2) अभी हाल ही में एक प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत न होने के कारण न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की शासकीय व्यवस्था की माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने आलोचना की है, इसके पूर्व भी कुछ मामलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त न करने, जवाबदावा समय पर प्रस्तुत न करने और अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के मामलों में न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गयी है. उससे एक ओर शासन के हितों का संवर्द्धन नहीं हो पाता वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि :—

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभाध्यक्ष उनके विभाग से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत करने, आदेश पारित होने के बाद उनका पालन करने या उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें.

(2) समस्त विभागों द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित रूप से जानकारी संकलित कर त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जाये.

(3) समस्त विभागों में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की त्रैमासिक समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी की जायेगी. अतः आपके विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की त्रैमासिक जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक तिमाही (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर एवं अक्टूबर से दिसम्बर) के अगले माह की 15 तारीख तक संकलित करके सामान्य प्रशासन विभाग (लीगल सेल) को भेजें, ताकि वस्तुस्थिति से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया जा सके.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

संलग्न : प्रपत्र. (1)

हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.